न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 47/2020

वादीगण–

1. हणुतसिंह उर्फ हनुवन्तसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी झाड़ेली, जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. गजेन्द्रकंवर पुत्री किशोरसिंह
2. जगदीश सिंह पुत्र किशोरसिंह
3. जयसिंह पुत्र किशोरसिंह
4. नन्द कंवर पुत्री किशोरसिंह
5. प्रेमसिंह पुत्र किशोरसिंह (**फौत के कायम मुकामात 5/1 से 5/3)**
   5/1 बलवन्तसिंह पुत्र प्रेमसिंह
   5/2 अभिमन्यूसिंह पुत्र प्रेमसिंह
   5/3 शोभा कंवर पत्नी प्रेमसिंह
6. पुष्पा कंवर पुत्री किशोरसिंह
7. ब्रिज कंवर पुत्री किशोरसिंह
8. हेमसिंह पुत्र किशोरसिंह, **जातियान राजपूत निवासीगण झाड़ेली, तहसील जायल।**
9. प्रबंधक जयपुर थार ग्रामीणा बैंक शाखा डेह।
10. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री दशरथ सिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी प्रतिवादी संख्या 2,3,8 व प्रतिवादी संख्या 5 प्रेमसिंह के कायम मुकामात 5/1 से 5/3 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 1, 4, 6,7 का आदेश 1 नियम 10 (2) द्वारा नाम विलोपन।
4. प्रतिवादी संख्या 9 प्रबंधक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा डेह परर्फोमा पक्षकार।
5. प्रतिवादी संख्या 10 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88 ,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 18/05/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा रामपुरा ब तहसील जायल में खेत खसरा नं. 244 रकबा 40.8651 हैक्टेयर व मौजा झाड़ेली के खेत खसरा नंबर 452 रकबा 0.0486 हैक्टेयर , खसरा नंबर 458 रकबा 2.3795 हैक्टेयर, खसरा नंबर 459 रकबा 0.3885 हैक्टेयर, खसरा नंबर 483 रकबा 0.3157 हैक्टेयर, खसरा नंबर 484 रकबा 2.8166 हैक्टेयर, खसरा नंबर 82 रकबा 4.5325 हैक्टेयर , खसरा नंबर 82/2 रकबा 1.4002 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी का वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि मे से 5/27 वां हिस्सा अर्थात 9.7237 हैक्टेयर रहता है। जिसका बाई मिटस्

18/05/2022
(एस.डी.ओ.) जायल

एण्ड बाउंडस के अलग विभाजन कराना चाहता हूं। परन्तु सभी प्रतिवादीगण सहमत नहीं होने से वादी को यह वादपत्र पेश करना लाजमी हुआ है। अतः वादपत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा रामपुरा व तहसील जायल में खेत खसरा नं. 244 रकबा 40.8651 हैक्टेयर व मौजा झाड़ेली के खेत खसरा नंबर 452 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा नंबर 458 रकबा 2.3795 हैक्टेयर, खसरा नंबर 459 रकबा 0.3885 हैक्टेयर, खसरा नंबर 483 रकबा 0.3157 हैक्टेयर, खसरा नंबर 484 रकबा 2.8166 हैक्टेयर, खसरा नंबर 82 रकबा 4.5325 हैक्टेयर, खसरा नंबर 82/2 रकबा 1.4002 हैक्टेयर मे से 5/27 वां हिस्सा अर्थात 9.7237 हैक्टेयर बाई मिट्स एंड बाउण्डस से अलग किया जाकर डिक्री फरमाई जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 13.07.2020 को वादी हणूतसिंह की ओर से जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अधीन धारा आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया कि प्रतिवादी संख्या 5 प्रेमसिंह की मृत्यू हो चुकी उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसान पुत्रगण बलवन्तसिंह, अभिमन्यूसिंह, शोभा कंवर पत्नी प्रेमसिंह को रेकर्ड पर लिया जावे। दिनांक 17.09.2021 को वकील वादी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेशी पर ली गई। वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) का प्रतिवादी संख्या 1,4,6,7 का नाम हटाने बावत् पेश किया तथा साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 तथा प्रतिवादी संख्या 5 के वारिसान एवं प्रतिवादी संख्या 8 के द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा प्रकरण में पेश किया गया। राजीनामें की इबारत पढकर सुनाई गई जिसे सही होना स्वीकार किया। प्रतिवादी संख्या 1,4, 6,7 के द्वारा वादगस्त खेतायों में अपना हक त्याग जरिये हकर्तक कर दिया गया है इसलिये प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1,4,6,7 का नाम वाद पत्र से हटाया जाता है। प्रतिवादी संख्या 9 का सम्मन अदम तामिल होकर प्राप्त है जो कि वादपत्र में परर्फोमा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 2,3 व 5 के विधिक वारिसान एवं 8 द्वारा दिनांक 17.09.2021 को राजीनामा पेश किया जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री दशरथसिंह सिंह राठौड़ ने की तथा प्रतिवादी संख्या 2,3,5 के कायम मुकामात एवं 8 की पहचान अधिवक्ता शैलेन्द्रसिंह कालवी ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामें का बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से हैं– वादी हणुतसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रामपुरा व के खेत खसरा नंबर 244 रकबा 40.8651 हैक्टेयर में से 8.1231 हैक्टेयर अर्थात 50.02 बीघा पूर्वी हिस्सा तथा मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नबर 82 रकबा 4.5325 हैक्टेयर में से 1.1331 हैक्टेयर अर्थात 7 बीघा दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा खेत खसरा नंबर 458 रकबा 2.3795 हैक्टेयर में से 1.0387 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 483 रकबा 0.3157 हैक्टेयर में से रकबा 0.1138 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 जगदीश सिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रामपुरा व के खेत खसरा नंबर 244 रकबा 40.8651 हैक्टेयर में से 8.1231 हैक्टेयर अर्थात 50.02 बीघा पश्चिमी हिस्सा तथा मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नबर 82 रकबा 4.5325 हैक्टेयर में से 1.1331 हैक्टेयर अर्थात 7 बीघा दक्षिणी पूर्वी भाग तथा खेत खसरा नंबर 458 रकबा 2.3795 हैक्टेयर में से 1.1525 हैक्टेयर पश्चिमी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 3 जय सिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रामपुरा व के खेत खसरा नंबर 244 रकबा 40.8651 हैक्टेयर में से 8.1231 हैक्टेयर अर्थात 50.02 बीघा मध्य हिस्सा नजरीनक्शानुसार तथा मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नबर 82 रकबा 4.5325 हैक्टेयर में से 1.1331 हैक्टेयर अर्थात 7 बीघा उतरी पूर्वी भाग तथा खेत खसरा नंबर 484 रकबा 2.8166 हैक्टेयर में से 1.0121 हैक्टेयर भाग

नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 459 में से 0.0315 हैक्टेयर नजीरनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 5 के वारिसान बलवंसिंह, अभिमन्यूसिंह पुत्रगण प्रेमसिंह, शोभा कंवर पत्नी प्रेमसिंह के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रामपुरा ब के खेत खसरा नंबर 244 रकबा 40.8651 हैक्टेयर में से 8.1231 हैक्टेयर अर्थात 50.02 बीघा पश्चिमी तरफ से हिस्सा नजरीनक्शानुसार तथा मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नबर 82/2 रकबा 1.4002 हैक्टेयर पूरा तथा खेत खसरा नंबर 484 रकबा 2.8166 हैक्टेयर में से 1.0934 हैक्टेयर मध्य भाग नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 459 में से 0.1966 हैक्टेयर नजीरनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 8 हेमसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रामपुरा ब के खेत खसरा नंबर 244 रकबा 40.8651 हैक्टेयर में से 8.1231 हैक्टेयर अर्थात 50.02 बीघा पूर्वी तरफ का हिस्सा नजरीनक्शानुसार तथा मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नबर 82 रकबा 4.5325 हैक्टेयर में से 1.1332 हैक्टेयर अर्थात 7 बीघा उतरी पश्चिमी भाग तथा खेत खसरा नंबर 484 रकबा 2.8166 हैक्टेयर में से 0.6021 हैक्टेयर पूर्वी भाग नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 483 रकबा 0.3157 में से 0.2018 हैक्टेयर नजीरनक्शानुसार, 458 रकबा 2.3795 हैक्टेयर में से 0.1881 हैक्टेयर अर्थात 07.02 बीघा दक्षिणी पश्चिमी भाग रखा गया है। मौजा रामपुरा ब के खेत खसरा नंबर 244 रकबा 40.8651 हैक्टेयर में से 0.2496 हैक्टेयर अर्थात 1.11 भूमि का आवागमन हेतु नजरीनक्शनुसार दक्षिण तरफ से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3,8 व प्रतिवादी संख्या 5 के वारिसान के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में रखा गया है। खसरा नंबर 452 की 0.0486 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3,8 एव 5 के वारिसान के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त सहखातेदारी में रखी गई है।

हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 10 का समन्न स्वयं से तामिल होकर प्राप्त है तथा प्रतिवादी संख्या 9 का सम्मन अदम तामिल प्राप्त है जो कि, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है । प्रतिवादीगण संख्या 2,3 व 5 के विधिक वारिसान एवं 8 के द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 9 प्रबंधक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा डेह परर्फोमा पक्षकार एवं 10 राजपैरोकार केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र हणुतसिंह उर्फ हनुवन्त सिंह के पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम रामपुरा ब तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 162 प्रदर्श–1, ग्राम झाड़ेली तहसील जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 815 पेश हुवे। प्रतिवादी संख्या 1,4,6,7 की ओर से हकर्तक नामा दिनांक 23.09.2020 उपपंजीयक डेह द्वारा पत्रावली में सलंग्न है। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 2,3 व 5 के विधिक वारिसान एवं 8 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक नजरीनक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 2,3 व 5 के विधिक वारिसान एवं 8 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री

किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खाताय की भूमि पुश्तैनी है तथा
पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार नजरीनक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित
खाताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 17.09.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा
तहसीलदार जायल को माफिक बंटवारा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी
की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ
पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2, 3 व 5 के विधिक वारिसान एवं 8 के द्वारा प्रस्तुत
राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 व 10 राजपैराकार केवल परफोर्मा पक्षकार
बनाया गया है। बंटवारे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के
रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त
खातायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण
अपने अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के
अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 17.09.2021 में वादी तथा
प्रतिवादीगण संख्या 2,3 व 5 के विधिक वारिसान एवं 8 ने आपसी सहमति के अनुसार
खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री
किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा झाड़ेली एवं रामपुरा ब के वादग्रस्त खातायों में सहखातेदार के
रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है,
चूंकि वादग्रस्त खातायों में पक्षकारान द्वारा मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नंबर 82/2, 452
को यथावत तथा मौजा रामपुरा ब के खेत खसरा नं. 244 व मौजा झाड़ेली के खेत खसरा
नंबर 82, 458, 483, 484, 459 की भूमि का विभाजन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 5 के
विधिक वारिसान एवं 8 के मध्य हिस्से विशेष के रूप में हक बंट जरिये राजीनामा चाहा है
जो कि पूर्ण रूपेन से विभाजन नहीं है अतः मौजा रामपुरा ब के खेत खसरा नं. 244 व मौजा
झाड़ेली के खेत खसरा नंबर 82, 458, 483, 484, 459 की भूमि पूर्ण रूप से विभाजन नहीं
होने तथा पक्षकारान के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद
आंशिक स्वीकार कर दिनांक 22.12.2021 को प्राथमिक डिक्री किया के आदेश पारित किये
गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 22.12.2021
की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 616 दिनांक 3.2.2022 को प्राप्त हुआ।
प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा
प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये
जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को
नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान में
वादी एवं प्रतिवादी हणुतसिंह उर्फ हनुवतसिंह, जगदीशसिंह, हेमसिंह, बलवन्तसिंह, अभिमन्यूसिंह,
शोभा कंवर ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार
बंटवारा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने
की पुष्टि मोतबिरान पुर्णसिंह पुत्र विशालसिंह, गणपतसिंह पुत्र रतनसिंह तथा भू.अभि.निरीक्षक
सुरपालिया की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना
स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन
किया। अतः मौजा रामपुरा ब के खेत खसरा नंबर 244 व मौजा झाड़ेली के खेत खसरा नंबर 452,
458, 459, 483, 484, 82, 82/2 भूमि का पक्षकारान के मध्य विभाजन तहसीलदार जायल से प्राप्त

पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार मौजा रामपुरा ब के खेत खसरा नंबर 244 व मौजा झाड़ेली के खेत खसरा नंबर 452, 458, 459, 483, 484, 82, 82/2 भूमि का पक्षकारान् के मध्य विभाजन तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी हणुतसिंह उर्फ हनुवन्तसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रामपुरा ब के खेत खसरा नंबर 244 रकबा 40.8651 हैक्टेयर में से 8.1231 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार तथा मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नबर 82 रकबा 4.5325 हैक्टेयर में से 1.1331 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार तथा खेत खसरा नंबर 458 रकबा 2.3795 हैक्टेयर में से 1.0388 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 483 रकबा 0.3157 हैक्टेयर में से रकबा 0.1138 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 2 जगदीश सिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रामपुरा ब के खेत खसरा नंबर 244 रकबा 40.8651 हैक्टेयर में से 8.1231 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार तथा मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नबर 82 रकबा 4.5325 हैक्टेयर में से 1.1331 हैक्टेयर तथा खेत खसरा नंबर 458 रकबा 2.3795 हैक्टेयर में से 1.1526 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 3 जय सिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रामपुरा ब के खेत खसरा नंबर 244 रकबा 40.8651 हैक्टेयर में से 8.1231 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार तथा मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नबर 82 रकबा 4.5325 हैक्टेयर में से 1.1331 हैक्टेयर भाग नजरीनक्शानुसार तथा खेत खसरा नंबर 484 रकबा 2.8166 हैक्टेयर में से 1.0121 हैक्टेयर भाग नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 459 में से 0.0315 हैक्टेयर नजीरनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 5 प्रेमसिंह फौत के वारिसान 5/1 से 5/3 कमश बलवन्तसिंह, अभिमन्यूसिंह पुत्रगण प्रेमसिंह, शोभा कंवर पत्नी प्रेमसिंह के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रामपुरा ब के खेत खसरा नंबर 244 रकबा 40.8651 हैक्टेयर में से 8.1231 हैक्टेयर हिस्सा नजरीनक्शानुसार तथा मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नबर 82/2 रकबा 1.4002 हैक्टेयर पूरा तथा खेत खसरा नंबर 484 रकबा 2.8166 हैक्टेयर में से 1.0934 हैक्टेयर मध्य भाग नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 459 में से 0.1965 हैक्टेयर नजीरनक्शानुसार रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 8 हेमसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रामपुरा ब के खेत खसरा नंबर 244 रकबा 40.8651 हैक्टेयर में से 8.1231 हैक्टेयर हिस्सा नजरीनक्शानुसार तथा मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नबर 82 रकबा 4.5325 हैक्टेयर में से 1.1332 हैक्टेयर भाग नजरीनक्शानुसार तथा खेत खसरा नंबर 484 रकबा 2.8166 हैक्टेयर में से 0.6021 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 483 रकबा 0.3157 में से 0.2019 हैक्टेयर नजीरनक्शानुसार, 458 रकबा 2.3795 हैक्टेयर में से 0.1881 हैक्टेयर भाग नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 459 में से 0.1605 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

6. मौजा रामपुरा ब के खेत खसरा नंबर 244 रकबा 40.8651 हैक्टेयर में से 0.2496 हैक्टेयर अर्थात 1.11 भूमि का आवागमन हेतु नजरीनक्शनुसार दक्षिण तरफ से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3,8 व प्रतिवादी संख्या 5 के वारिसान 5/1 से 5/3 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में रखा गया है तथा मौजा झाड़ेली के खेत खसरा नंबर 452 की 0.0486 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3,8 एव 5 के वारिसान 5/1 से 5/3 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त सहखातेदारी में रखी गई है।
7. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
8. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 18/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

18/05/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 47/2020

वादीगण–

1. हणुतसिंह उर्फ हनुवन्तसिंह पुत्र किशोरसिंह,जाति राजपूत निवासी झाड़ेली, तहसील जायल जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. गजेन्द्रकंवर पुत्री किशोरसिंह
2. जगदीश सिंह पुत्र किशोरसिंह
3. जयसिंह पुत्र किशोरसिंह
4. नन्द कंवर पुत्री किशोरसिंह
5. प्रेमसिंह पुत्र किशोरसिंह **(फौत के कायम मुकामात 5/1 से 5/3)**
   5/1 बलवन्तसिंह पुत्र प्रेमसिंह
   5/2 अभिमन्यूसिंह पुत्र प्रेमसिंह
   5/3 शोभा कंवर पत्नी प्रेमसिंह
6. पुष्पा कंवर पुत्री किशोरसिंह
7. ब्रिज कंवर पुत्री किशोरसिंह
8. हेमसिंह पुत्र किशोरसिंह
   जातियान राजपूत निवासीगण झाड़ेली, तहसील जायल जिला–नागौर।
9. प्रबंधक जयपुर थार ग्रामीणा बैंक शाखा डेह।
10. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री दशरथ सिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी प्रतिवादी संख्या 2,3,8 व प्रतिवादी संख्या 5 प्रेमसिंह के कायम मुकामात 5/1 से 5/3 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 1, 4, 6,7 का आदेश 1 नियम 10 (2) द्वारा नाम विलोपन।
4. प्रतिवादी संख्या 9 प्रबंधक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा डेह परफोंमा पक्षकार।
5. प्रतिवादी संख्या 10 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री दशरथसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 5 के विधिक वारिसान एवं 8 की ओर से अधिवक्ता शैलेन्द्रसिंह कालवी व प्रतिवादी संख्या 10 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

10/05/2022

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार मौजा रामपुरा ब के खेत खसरा नंबर 244 व मौजा झाड़ेली के खेत खसरा नंबर 452, 458, 459, 483, 484, 82, 82/2 भूमि का पक्षकारान् के मध्य विभाजन तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी हणुतसिंह उर्फ हनुवन्तसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रामपुरा ब के खेत खसरा नंबर 244 रकबा 40.8651 हैक्टेयर में से 8.1231 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार तथा मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नबर 82 रकबा 4.5325 हैक्टेयर में से 1.1331 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार तथा खेत खसरा नंबर 458 रकबा 2.3795 हैक्टेयर में से 1.0388 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 483 रकबा 0.3157 हैक्टेयर में से रकबा 0.1138 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 2 जगदीश सिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रामपुरा ब के खेत खसरा नंबर 244 रकबा 40.8651 हैक्टेयर में से 8.1231 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार तथा मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नबर 82 रकबा 4.5325 हैक्टेयर में से 1.1331 हैक्टेयर तथा खेत खसरा नंबर 458 रकबा 2.3795 हैक्टेयर में से 1.1526 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 3 जय सिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रामपुरा ब के खेत खसरा नंबर 244 रकबा 40.8651 हैक्टेयर में से 8.1231 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार तथा मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नबर 82 रकबा 4.5325 हैक्टेयर में से 1.1331 हैक्टेयर भाग नजरीनक्शानुसार तथा खेत खसरा नंबर 484 रकबा 2.8166 हैक्टेयर में से 1.0121 हैक्टेयर भाग नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 459 में से 0.0315 हैक्टेयर नजीरनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 5 प्रेमसिंह फौत के वारिसान 5/1 से 5/3 कमश बलवन्तसिंह, अभिमन्यूसिंह पुत्रगण प्रेमसिंह, शोभा कंवर पत्नी प्रेमसिंह के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रामपुरा ब के खेत खसरा नंबर 244 रकबा 40.8651 हैक्टेयर में से 8.1231 हैक्टेयर हिस्सा नजरीनक्शानुसार तथा मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नबर 82/2 रकबा 1.4002 हैक्टेयर पूरा तथा खेत खसरा नंबर 484 रकबा 2.8166 हैक्टेयर में से 1.0934 हैक्टेयर मध्य भाग नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 459 में से 0.1965 हैक्टेयर नजीरनक्शानुसार रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 8 हेमसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रामपुरा ब के खेत खसरा नंबर 244 रकबा 40.8651 हैक्टेयर में से 8.1231 हैक्टेयर हिस्सा नजरीनक्शानुसार तथा मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नबर 82 रकबा 4.5325 हैक्टेयर में से 1.1332 हैक्टेयर भाग नजरीनक्शानुसार तथा खेत खसरा नंबर 484 रकबा 2.8166 हैक्टेयर में से 0.6021 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 483 रकबा 0.3157 में से 0.2019 हैक्टेयर नर्जीरनक्शानुसार, 458 रकबा 2.3795 हैक्टेयर में से 0.1881 हैक्टेयर भाग नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 459 में से 0.1605 हैक्टैयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

6. मौजा रामपुरा ब के खेत खसरा नंबर 244 रकबा 40.8651 हैक्टेयर में से 0.2496 हैक्टेयर अर्थात 1.11 भूमि का आवागमन हेतु नजरीनक्शनुसार दक्षिण तरफ से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3,8 व प्रतिवादी संख्या 5 के वारिसान 5/1 से 5/3 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में रखा गया है तथा मौजा झाड़ेली के खेत खसरा नंबर 452 की 0.0486 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3,8 एव 5 के वारिसान 5/1 से 5/3 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त सहखातेदारी में रखी गई है।
7. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
8. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 18/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

18/05/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18/05/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

18/05/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)